

Food Safety and Standards Authority of India

Monthly Achievements for the month of July, 2022

I. Meeting of the Food Authority

39th Meeting of the Food Authority was held on 13th July, 2022 and many important decisions were taken for further action.

II. Directives issued in exercise of powers vested under Section 16(5) and 18(2) (d) of Food Safety and Standards Act and other Orders

1. *Vide* Order dated 26th July, 2022 it has been decided to extend the timeline for mandatory compliance of the Food Safety and Standards (Vegan Foods) Regulations by 6 months from the date of uploading of the Guidelines for submission of applications for endorsement of Vegan Logo and formats thereof on the FSSAI website i.e. upto 26th January, 2023.

2. Directions issued on 27th July 2022 for keeping in abeyance till 31st December, 2022 the compliance of quality parameters 'Alcoholic acidity' in Bajra Flour (Pearl Millet Flour), Jowar Flour (Sorghum Flour), Multigrain flour (atta) , Mixed millet flour and 'Total dietary fibre' for Mixed Millet Flour . Further, it has been decided to revise the maximum limit of the moisture content in Mixed millet flour from 11% to 13%, and operationalise the same with immediate effect .

III. Orders

1. Usage of the term 'ORS' along with the brand name

Vide FSSAI's order dated 08.04.2022, the use of the term 'ORS' or similar to 'ORS' and/or depiction of the food products as 'ORS' was restricted. However, representations were received from FBOs and the matter was reviewed by FSSAI. It was noted that few FBOs were having valid trademarks similar to the term 'ORS' for the name of their products. Accordingly, the matter was taken up with O/o Controller General of Patents, Design and Trademarks, Mumbai (CGPDTM). However, the decision of CGPDTM is still awaited in this regard. Meanwhile till the decision from CGPDTM is received, it has been decided *vide* order dated 14.07.2022 to:

- 1) allow those FBOs with valid trademarks to manufacture such products under their respective Trademarked names;
- 2) such FBOs are directed to provide a prominent declaration on their Front of Pack either through non-detachable stickers or printing that ***'The product is NOT a ORS formula as recommended by WHO'*** or may use similar meaning phrases with same intent;
- 3) FBOs who are presently manufacturing such products but have not trademarked the same before the date of this order shall provide an undertaking to discontinue the same.

Such FBOs are being provided 6 months' time from the date of the order to exhaust the existing stock along with pre-printed packaging material of such product.

The decision of CGPDTM shall be binding and final on all such FBOs."

2. Vide Order dated 21st July, 2022, it has been decided that Food Safety Supervisor Certificate issued on completion of training under Food Safety Training & Certification (FoSTaC) programme will be perpetual in nature. However, if the food handler changes KoB, he/she will have to undergo the FoSTaC training afresh and obtain a new FSS certificate for the respective KoB. The food handlers having FSS certificate will have to undergo refresher training in case there is any change in the Schedule 4 of FSS (Licensing & Registration of Food Businesses) Regulations, 2011.

3. Guidelines dated 25th July, 2022 issued for submission of applications for endorsement of vegan logo under FSS (Vegan Foods) Regulations, 2022 that were notified on 10th June, 2022.

IV Quality Assurance -

1. Notification of Food Testing Laboratories:

FSSAI notifies primary labs under Section 43(1) of the Food Safety and Standards Act, 2006 for purposes of conducting regulatory and surveillance testing of samples. During July, 2022, one Laboratory viz. Food and Drugs Administrations Laboratory (M.S.), Nagpur has been notified as primary food testing Laboratory under Section 43 (1) of Food Safety and Standards Act, 2006. Further, six laboratories viz. M/s National Agriculture and Food Analysis and Research Institute, Pune, M/s Trilogy Analytical Laboratory Private Limited, Hyderabad, M/s Fair Quality Institute (Food Analysis & Industrial Research Quality Institute), New Delhi, M/s Envirocare India Private Limited, Madurai, M/s Shreeji Analytical & Research Laboratories Pvt. Ltd, Indore, Quality Control and Quality Assurance Division, CSIR-Indian Institute of Integrative Medicine, Jammu have been de-notified by FSSAI. This has brought the total number of notified primary food testing laboratories to 224.

2 Strengthening of Food Testing System in the Country including provision of Mobile Food Testing Labs:

a) Upgradation/Setting up of State Food Testing Laboratories (SFTLs):

FSSAI is implementing a Central Sector Scheme (CSS) for "Strengthening of Food Testing System in the Country including Provision of Mobile Food Testing Labs" (SOFTeL) with initial financial outlay of Rs. 481.95 crore upto FY 2019-20. A grant of Rs. 372.35 crore was released from initial outlay. The Scheme was reviewed and further extended with approval of the Govt. upto FY 2022-23 with few additional parameters and an outlay of Rs. 241.34 crore. Therefore, revised financial outlay of the Scheme now is Rs 613.79 crore. The Scheme *inter alia* envisages strengthening/ setting up of 43 State Food Testing Labs. At least one food testing laboratory in each State and two in larger States

are envisaged to be assisted and a grant of Rs. 13.90 crore (approx.) is earmarked for each SFTL.

During July, 2022, a total of 1685.68 lakhs has been released under the Scheme to 4 State/UTs (Assam-380.70 lakh, Uttrakhand 282 lakh, Tamil Nadu 649.25 lakh and Manipur 373.73 lakh) for purchasing of High End Equipment, Basic Equipment for lab, undertaking Renovation Work, Purchase of Consumables, RAFT kits etc in order to upgrade the SFTLs and thereby strengthen the food testing system in the country. Till 31.07.2022, a grant of Rs.388.55 crore has been released under *strengthening and upgradation* component of the Scheme for upgradation of 41 State Food Testing Laboratories (SFTL) of 30 States/UTs across the country.

b) Food Safety on Wheels:

FSSAI has provided 173 mobile food testing labs called FSW under Central Sector Scheme (SoFTeL) to States/UTs. FSSAI is currently providing grants to States/UTs for direct procurement of FSWs through GeM portal under MoU framework from Non-CSS funds. During July, 2022 27 Food Safety on Wheels (FSWs) @Rs.42 Lakh per FSW were sanctioned to 4 States/UTs (Assam -17, Manipur - 4, Tamil Nadu- 4, Uttarakhand- 2) . 50% of the grants have been released as first installment to the States/UTs for the same. This has raised the total number of FSWs provided/sanctioned so far to States/UTs both under CSS and other than CSS to 295.

Apart from this, advance fund to incur the cost of operational expenses of FSWs has also been sanctioned to States (Assam – Rs.60 lakh under CSS + Rs.85 lakh under non-CSS; Manipur – Rs.10 lakh under CSS + Rs.30 lakh under non-CSS; Tamil Nadu –Rs.20 lakh under non-CSS; Bihar– Rs.20 Lakh under CSS + Rs.30 Lakh under non-CSS; Uttarakhand – Rs.10 Lakh under CSS + Rs.10 Lakh under non-CSS)

2. Upgradation of National Food Laboratory, Raxaul:

M/s Helix Biosciences has been awarded the contract for supply, installation, testing and commissioning of Laboratory equipment for upgradation of existing infrastructure at National Food Laboratory, Raxaul Extension counter.

IV. Release of funds under MoU framework

Under the Scheme of MoU with States/UTs, FSSAI has been providing financial and technical assistance to States/UTs since 2020-21 against approved work plans to address the gaps in the food safety ecosystem and improve the overall food safety status in the country. These activities include upgrading state food testing eco-system, organizing various FSSAI initiatives, conducting IEC activities, setting up helpdesk for licensing & registration, audits of State licensed FBOs, testing of samples in FSSAI empaneled private laboratories, organizing Basic FoSTAC training for FBOs etc. During July, 2022, a sum of Rs. 3800.10 lakh (CSS- Rs. 1685.68 lakh, non-CSS Rs. 2114.49 lakh) was released to 4 States (Assam, Uttrakhand, Tamil Nadu and Manipur).

Overall, during 2022-23, till end of July, an amount of Rs.5903.49 lakh under Central Sector Scheme (SoFTeL) and Rs. 13181.31lakh under non-CSS totaling Rs. 19084.80 has been released to 26 States/UTs.

V SOCIAL AND BEHAVIOURAL CHANGE

1. **Awareness-** FSSAI undertakes various IEC activities to facilitate and educate stakeholders about safe food and healthy diets by utilizing different channels of communication using both online modes including print, electronic & social media and offline mediums including events/exhibitions. During July, 2022, a total of 6Creatives were created and circulated through different Social Media Platforms of FSSAI for creating public awareness around food safety and healthy diets . To generate the awareness on Eat Right India among citizens of India 7 videos were broadcasted on Doordarshan in the month of July-2022.

2. **Eat Right India initiatives :** Under Eat Right India initiatives, FSSAI certifies various food businesses/clusters based on benchmarks for food safety and hygiene. Several benchmarking and certification schemes have been initiated to improve overall infrastructure as well as food safety and hygiene levels across food establishments. Total number of Certificates awarded during the month of July, 2022 are as under:

Sl.No.	Name of the Initiative	Total
1.	BHOG (Blissful Hygienic Offering to God)	28
2.	Eat Right Campus	50
3.	Eat Right School	13
4.	Clean and Fresh Fruit and Vegetable Market	15
5.	Eat Right Station	4
6.	Clean Street Food Hub	9

3. Eat Right Mela and Walkathons

To celebrate 'AzadiKaAmritMahotsav', FSSAI is organizing "Eat Right Walkathon and Eat Right Melas" in 75 cities across India to commemorate 75 Years of India's Independence. The events aim to propagate the message of Safe, Healthy and Sustainable diets. Details of Eat Right Mela and Walkathons conducted during month of July 2022, are as follows:

A total of 18 Walkathons and Melas were conducted in the Month of July. Details are as follows:

S.N.	Name of State	Place of Event	Walkathon	Mela
1	UT J&K	Kargil	15 July 2022	14 July 2022
2	Tamil Nadu	Salem	16 July 2022	16 July 2022
3	Tamil Nadu	Kanyakumari	16-Jul-2022	17-Jul-2022
4	UT J&K	Jammu	20 July 2022	20 July 2022
5	Rajasthan	Kota	21-Jul-2022	21-Jul-2022
6	UT J&K	Budgam	20 July 2022	20 July 2022
7	UT J&K	Rajouri	22 July 2022	22 July 2022
8	UT J&K	Gaderbal	22 July 2022	22 July 2022
9	Tamil Nadu	Madurai	23 July 2022	24 July 2022
10	Karnataka	Mysore	24 July 2022	24 July 2022
11	UT J&K	Poonch	24 July 2022	24 July 2022
12	UT J&K	Badipora	24 July 2022	24 July 2022
13	Nagaland	Kohima	26 July 2022	26 July 2022
14	Manipur	District Churachandpur	27 July 2022	27 July 2022
15	UT J&K	Baramula	26 July 2022	26 July 2022
16	UT J&K	Reasi	26 July 2022	26 July 2022
17	UT J&K	Udhampur	28 July 2022	28 July 2022
18	UT J&K	Kupwara	28 July 2022	28 July 2022

V Training and Capacity Building

1. FoSTaC Training programme of FSSAI focuses on ensuring Good Manufacturing Practices (GMP) and proper hygiene and sanitation in food service establishments. These short duration training programs for food handlers are being organized regularly through empaneled Training Partners and trainers. During July, 2022, 29044 food handlers were trained through 810 trainings and certified as Food Safety Supervisor.

2. FSSAI is also conducting trainings for Regulatory Personnel and Regular employees of FSSAI. Details of trainings conducted during the month of July, 2022 are as follows :

Name of Training	Number of trainings	Number of people trained
Orientation Training for Adjudicating Officers of Assam, Gujarat, Haryana, and Odisha conducted on 14 &15 July 2022 through online	01	70

mode.		
Orientation Training for Adjudicating Officers of Karnataka, Manipur and Tamil Nadu conducted on 21 & 22 July 2022 through online mode.	01	53

3. **Trainings for lab personnel and other stakeholders**

FSSAI conducted 4 Hands-on Training programs for analysis of pesticide residues in fruit and vegetable products; heavy metals in oils & fats; method verification for rice fortificant testing; analysis of safety parameters in milk products and cereal products for State/UTs' laboratory personnel which were conducted in coordination with Suntech Lab, Jharkhand, EFRAC, Kolkata and Doctors Analytical Lab, Mumbai. 32 participants attended these training programs.

ITC-FSAN, Mumbai conducted 10 training programs (Online and Offline) for Food Business Operators, Students, Personnel of Notified & State laboratories and Consumers focusing on Labelling and display Regulations 2020, MSMEs in pre-packaged food, Hands-on Training on Screening of Nitrofurans Metabolites and Aflatoxin Residues; Consumer Session on FSSAI's initiative to re-use used Cooking Oil; Microbiological Sampling of Fish and Fish Products. 532 participants attended these training program.

VII. Codex

1) **53rd session of Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR53) was held from 3rd-8th July'22 with report adoption on 13th July'22**

- Monitoring the purity and stability of certified reference material of multi-class pesticides during prolonged storage (**Chaired by India**)
- Guidelines for compounds of low public health concern that may be exempted from the establishment of CXLs or do not give rise to residues (**Co-Chaired by India**)
- Review of mass spectrometry provisions in the guidelines on the use of mass spectrometry for the identification, confirmation and quantitative determination of pesticide residues (**Co-Chaired by India**)
- Management of unsupported compounds without public health concern scheduled for periodic review(**Co-Chaired by India**)

2) **Codex Coordination Group (CCG) Meeting for CCSCH6**

The first meeting of the Codex Coordination Group (CCG3)-Foods of Plant Origin (Sub-group on Spices and Culinary Herbs) for the 6th session of Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH6) was held on July 22, 2022 under the chairmanship of Shri D Sathiyam IFS, Secretary, Spices Board to discuss the various agenda items of CCSCH6 and finalizing India's stand on the agenda items.

भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण
जुलाई, 2022 माह की मासिक उपलब्धियां

I. खाद्य प्राधिकरण की बैठक

खाद्य प्राधिकरण की 39वीं बैठक 13 जुलाई, 2022 को हुई और आगे की कार्रवाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

II. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की धारा 16(5) एवं 18(2)(डी) के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी निर्देश एवं अन्य आदेश

1. दिनांक 26 जुलाई, 2022 के निर्देश द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि खाद्य सुरक्षा और मानक (शाकाहारी खाद्य पदार्थ) विनियमों के अनिवार्य अनुपालन के लिए समय सीमा को वेगन लोगो के अनुमोदन के लिए आवेदन जमा करने के लिए दिशा-निर्देशों व उसके प्रारूप को FSSAI की वेबसाइट पर अपलोड करने की तिथि से 6 महीने यथा 26 जनवरी, 2023 तक बढ़ाया जाए।

2. बाजरे का आटा, ज्वार का आटा (सोरघम आटा), मल्टीग्रेन आटा, मिश्रित बाजरा के आटे में गुणवत्ता मानक 'अल्कोहल अम्लता' तथा मिश्रित बाजरे के आटे के लिए 'कुल आहार फाइबर' का अनुपालन 31 दिसंबर, 2022 तक स्थगित रखने के लिए 27 जुलाई 2022 को दिशा-निर्देश जारी किए। इसके अलावा, मिश्रित बाजरे के आटे में नमी की मात्रा की अधिकतम सीमा को 11% से 13% तक संशोधित करने और इसे तत्काल प्रभाव से चालू करने का निर्णय लिया गया।

III. आदेश

1. ब्रांड नाम के साथ 'ओआरएस' शब्द का प्रयोग एफएसएसआई के दिनांक 08.04.2022 के आदेश के तहत, 'ओआरएस' शब्द या 'ओआरएस' के समान और/या खाद्य उत्पादों को 'ओआरएस' के रूप में चित्रित करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। तथापि, एफबीओ से अभ्यावेदन

प्राप्त हुए और एफएसएसएआई द्वारा मामले की समीक्षा की गई। यह नोट किया गया कि कुछ एफबीओ के पास अपने उत्पादों के नाम के लिए 'ओआरएस' शब्द के समान वैध ट्रेडमार्क थे। तदनुसार, इस मामले को पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक, मुंबई (सीजीपीडीटीएम) के कार्यालय से उठाया गया। इस संबंध में सीजीपीडीटीएम के निर्णय की प्रतीक्षा है। इस बीच, सीजीपीडीटीएम से निर्णय प्राप्त होने तक, दिनांक 14.07.2022 के आदेश के तहत यह निर्णय लिया गया है कि:

- 1) वैध ट्रेडमार्क वाले उन FBO को उनके संबंधित ट्रेडमार्क नामों के तहत ऐसे उत्पादों का निर्माण करने की अनुमति दी जाए ;
- 2) ऐसे एफबीओ को अपने फ्रंट ऑफ पैक पर गैर-अलग करने योग्य स्टिकर या प्रिंटिंग के माध्यम से एक प्रमुख घोषणा प्रदान करने के लिए निर्देशित किया जाता है कि 'उत्पाद डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित ओआरएस फॉर्मूला नहीं है' या समान अर्थ वाक्यांशों का उपयोग समान इरादे से कर सकते हैं;
- 3) एफबीओ जो वर्तमान में ऐसे उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन इस आदेश की तारीख से पहले ट्रेडमार्क नहीं किया है, उन्हें इसे बंद करने का वचन देना होगा। इस तरह के एफबीओ को मौजूदा स्टॉक और साथ ही ऐसे उत्पाद की पूर्व-मुद्रित पैकेजिंग सामग्री को समाप्त करने के लिए आदेश की तारीख से 6 महीने का समय प्रदान किया जा रहा है।

सीजीपीडीटीएम का निर्णय ऐसे सभी एफबीओ पर बाध्यकारी और अंतिम होगा।"

2. दिनांक 21 जुलाई, 2022 के आदेश के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है कि खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण एवं प्रमाणन (एफओएसटीएसी) कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण पूरा करने पर जारी खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक (एफएसएस) प्रमाण पत्र स्थायी प्रकृति का होगा। हालांकि, अगर फूड हैंडलर KoB बदलता है, तो उसे नए सिरे से खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण एवं प्रमाणन प्रशिक्षण से गुजरना होगा और संबंधित KoB के लिए एक नया एफएसएस प्राप्त करना होगा। एफएसएस प्रमाण पत्र रखने वाले खाद्य संचालकों को एफएसएस (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4 में कोई बदलाव होने पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण से गुजरना होगा।

3. 10 जून, 2022 को अधिसूचित एफएसएस (शाकाहारी खाद्य पदार्थ) विनियम, 2022 के तहत वेगन लोगो के अनुमोदन के लिए आवेदन जमा करने के लिए दिशानिर्देश 25 जुलाई, 2022 को जारी किए गए।

IV. गुणवत्ता आश्वासन -

1. खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की अधिसूचना:

FSSAI खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43(1) के अंतर्गत प्राथमिक प्रयोगशालाओं को नमूनों के नियामक और निगरानी परीक्षण करने के उद्देश्य से अधिसूचित करता है। जुलाई, 2022 में एक प्रयोगशाला अर्थात् खाद्य और औषधि प्रशासन प्रयोगशाला (एम.एस.), नागपुर को खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 43 (1) के तहत प्राथमिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, छह प्रयोगशालाएं अर्थात् मेसर्स नेशनल एग्रीकल्चर एंड फूड एनालिसिस एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे, मेसर्स ट्रिलॉजी एनालिटिकल लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद, मेसर्स फेयर क्वालिटी इंस्टीट्यूट (फूड एनालिसिस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च क्वालिटी इंस्टीट्यूट), नई दिल्ली, मेसर्स एनवायरोकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मदुरै, मेसर्स श्रीजी एनालिटिकल एंड रिसर्च प्रयोगशाला प्रा. लिमिटेड, इंदौर, गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन प्रभाग, सीएसआईआर-भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान, जम्मू को एफएसएसएआई द्वारा अधिसूचित प्रयोगशालाओं की सूची से बाहर किया गया है। इससे अधिसूचित प्राथमिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 224 रह गई है।

2 मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रावधान सहित देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली का सुदृढीकरण

क) राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसएफटीएल) का उन्नयन/स्थापना:

FSSAI वित्त वर्ष 2019-20 तक 481.95 करोड़ रुपये के प्रारंभिक वित्तीय परिव्यय के साथ "मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रावधान सहित देश

में खाद्य परीक्षण प्रणाली को मजबूत करने" (SOFTeL) के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना (CSS) लागू कर रहा है। प्रारंभिक परिव्यय से 372.35 करोड़ रुपये जारी किए गए। योजना की समीक्षा के बाद सरकार के अनुमोदन से वित्त वर्ष 2022-23 तक कुछ अतिरिक्त मापदंडों और 241.34 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विस्तारित किया गया है। इसलिए, योजना का संशोधित वित्तीय परिव्यय अब 613.79 करोड़ रुपये है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ 43 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत करने/स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला और बड़े राज्यों में दो को सहायता की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक एसएफटीएल के लिए 13.90 करोड़ (लगभग) निर्धारित किए गए हैं।

जुलाई, 2022 के दौरान, 4 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को योजना के तहत कुल 1685.68 लाख रुपये (असम-380.70 लाख, उत्तराखंड 282 लाख, तमिलनाडु 649.25 लाख और मणिपुर 373.73 लाख) एसएफटीएल को अपग्रेड करने यथा उच्च अंत उपकरण व प्रयोगशाला के लिए बुनियादी उपकरण की खरीद , नवीनीकरण कार्य, उपभोग्य सामग्रियों की खरीद, आरएफटी किट आदि के लिए जारी किए गए हैं जिस से देश में खाद्य प्रशिक्षण व्यवस्था और मजबूत होगी। । 31.07.2022 तक, देश भर में 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 41 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं (एसएफटीएल) के लिए योजना के अंतर्गत प्रयोगशाला को 'मजबूत करने और उन्नयन' घटक के अंतर्गत 388.55 करोड़ रुपये का अनुदान जारी किया गया है।

ख) पहियों पर खाद्य सुरक्षा:

FSSAI ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय क्षेत्र योजना (SoFTeL) के तहत खाद्य सुरक्षा ऑन व्हील्स (एफएसडब्ल्यू) नामक 173 चल (मोबाइल) खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं प्रदान की हैं। एफएसएसएआई वर्तमान में गैर-सीएसएस निधियों से समझौता जापन ढांचे के तहत एफएसडब्ल्यू की सीधी खरीद के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान प्रदान कर रहा है। जुलाई, 2022 के दौरान 4 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (असम -17, मणिपुर - 4, तमिलनाडु - 4, उत्तराखंड - 2) को 27 खाद्य सुरक्षा ऑन व्हील्स (एफएसडब्ल्यू) स्वीकृत किए गए । प्रत्येक एफएसडब्ल्यू की लागत 42 लाख रुपये के लगभग है । इसके लिए

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहली किस्त के रूप में 50% अनुदान जारी कर दिया गया है। इससे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीएसएस और गैर सीएसएस स्रोत से अब तक प्रदान/स्वीकृत एफएसडब्ल्यू की कुल संख्या बढ़कर 295 हो गई है।

इसके अलावा, राज्यों को एफएसडब्ल्यू के परिचालन खर्च की लागत को वहन करने के लिए अग्रिम निधि भी मंजूर की गई है (असम - सीएसएस के तहत 60 लाख रुपये + गैर-सीएसएस के तहत 85 लाख रुपये; मणिपुर - सीएसएस के तहत 10 लाख रुपये + 30 लाख रुपये गैर-सीएसएस के तहत; तमिलनाडु- गैर-सीएसएस के तहत 20 लाख रुपये; बिहार- सीएसएस के तहत 20 लाख रुपये + गैर-सीएसएस के तहत 30 लाख रुपये; उत्तराखंड- सीएसएस के तहत 10 लाख रुपये + 10 रुपये लाख गैर-सीएसएस के तहत)

2. राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, रक्सौल का उन्नयन:

राष्ट्रीय खाद्य प्रयोगशाला, रक्सौल विस्तार काउंटर पर बुनियादी ढांचे के उन्नयन के लिए मेसर्स हेलिक्स बायोसाइंसेज को प्रयोगशाला उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और चालू करने का ठेका प्रदान किया गया है।

IV. समझौता जापन ढांचे के तहत धन जारी करना

FSSAI राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों से समझौता जापन के तहत वर्ष 2020-21 से खाद्य सुरक्षा पारिस्थितिकी तंत्र की कमियों को दूर करने और समग्र खाद्य सुरक्षा स्थिति में सुधार करने के लिए अनुमोदित कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। इन गतिविधियों में राज्य खाद्य परीक्षण पारिस्थितिकी तंत्र का उन्नयन, विभिन्न एफएसएसएआई पहलों का आयोजन, आईईसी गतिविधियों का संचालन, लाइसेंस और पंजीकरण के लिए हेल्पडेस्क स्थापित करना, राज्य लाइसेंस प्राप्त एफबीओ का ऑडिट, एफएसएसएआई

अधिसूचित निजी प्रयोगशालाओं में नमूनों का परीक्षण, एफबीओ के लिए बुनियादी खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण एवं प्रमाणन (एफओएसटीएसी) प्रशिक्षण का आयोजन आदि शामिल हैं। जुलाई, 2022 के दौरान 3800.10 लाख रुपये (सीएसएस-1685.68 लाख रुपये , गैर-सीएसएस 2114.49 लाख रुपये) 4 राज्यों (असम, उत्तराखंड, तमिलनाडु और मणिपुर) को जारी किए गए थे।

कुल मिलाकर, 2022-23 के दौरान, जुलाई के अंत तक, केंद्रीय क्षेत्र योजना (SoFTeL) के तहत 5903.49 लाख रुपये और 13181.31 लाख रुपये गैर-सीएसएस के तहत (कुल 19084.80 लाख रुपये) 26 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी किया गया है।

V सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन

1. जागरूकता- एफएसएसएआई विभिन्न संचार माध्यमों यथा ऑनलाइन माध्यम (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और Social मीडिया) व ऑफलाइन माध्यम (आयोजन /प्रदर्शनियां) का उपयोग करके सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार के बारे में हितधारकों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न आईईसी गतिविधियों का संचालन करता है। जुलाई, 2022 के दौरान, खाद्य सुरक्षा और स्वस्थ आहार के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए FSSAI के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुल 6 क्रिएटिव बनाए गए और प्रसारित किए गए। भारत के नागरिकों के बीच ईट राइट इंडिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए जुलाई-2022 के महीने में दूरदर्शन पर 7 वीडियो प्रसारित किए गए।

2. ईट राइट इंडिया पहल: ईट राइट इंडिया पहल के तहत, एफएसएसएआई खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के लिए बेंचमार्क के आधार पर विभिन्न खाद्य व्यवसायों / समूहों को प्रमाणित करता है। खाद्य प्रतिष्ठानों में समग्र बुनियादी ढांचे के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के स्तर में सुधार के लिए कई

बैंचमार्किंग और प्रमाणन योजनाएं शुरू की गई हैं। जुलाई, 2022 के महीने के दौरान दिए गए प्रमाणपत्रों की कुल संख्या निम्नानुसार है

क्र.स	पहल का नाम	कुल
1.	भोग (Blissful Hygienic Offering to God)	28
2.	ईट राइट कैम्पस	50
3.	ईट राइट स्कूल	13
4.	स्वच्छ व ताजा फल व सब्जी मार्केट	15
5.	ईट राइट स्टेशन	4
6.	स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब	9

3. ईट राइट मेला और वॉकथॉन

'आजादी का अमृत महोत्सव' मनाने के लिए, FSSAI भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत भर के 75 शहरों में "ईट राइट वॉकथॉन और ईट राइट मेला " का आयोजन कर रहा है। आयोजनों का उद्देश्य सुरक्षित, स्वस्थ और सतत आहार के संदेश का प्रचार करना है। जुलाई 2022 के दौरान आयोजित ईट राइट मेला और वॉकथॉन का विवरण इस प्रकार है:

जुलाई माह में कुल 18 वॉकथॉन और मेलों का आयोजन किया गया। विवरण इस प्रकार है:

क्रस	राज्य का नाम	आयोजन स्थल	वॉकथॉन	मेला
1	जम्मू व कश्मीर	कार्गिल	15 जुलाई 2022	14 जुलाई 2022
2	तमिल नाडु	सलेम	16 जुलाई 2022	16 जुलाई 2022
3	तमिल नाडु	कन्याकुमारी	16- जुलाई 2022	17 जुलाई 2022
4	जम्मू व कश्मीर	जम्मू	20 जुलाई 2022	20 जुलाई 2022

5	राजस्थान	कोटा	21- जुलाई -2022	21 जुलाई 2022
6	जम्मू व कश्मीर	बडगाम	20 जुलाई 2022	20 जुलाई 2022
7	जम्मू व कश्मीर	राजौरी	22 जुलाई 2022	22 जुलाई 2022
8	जम्मू व कश्मीर	गदरबल	22 जुलाई 2022	22 जुलाई 2022
9	तमिल नाडु	मदुरै	23 जुलाई 2022	24 जुलाई 2022
10	कर्नाटक	मैसूरु	24 जुलाई 2022	24 जुलाई 2022
11	जम्मू व कश्मीर	पुंछ	24 जुलाई 2022	24 जुलाई 2022
12	जम्मू व कश्मीर	बादीपोरा	24 जुलाई 2022	24 जुलाई 2022
13	नागालैंड	कोहिमा	26 जुलाई 2022	26 जुलाई 2022
14	मणिपुर	चुराचाँदपुर जिला	27 July जुलाई	27 जुलाई 2022
15	जम्मू व कश्मीर	बारामूला	26 जुलाई 2022	26 जुलाई 2022
16	जम्मू व कश्मीर	रियासी	26 जुलाई 2022	26 जुलाई 2022
17	जम्मू व कश्मीर	ऊधमपुर	28 जुलाई 2022	28 जुलाई 2022
18	जम्मू व कश्मीर	कुपवारा	28 जुलाई 2022	28 जुलाई 2022

विप्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

1. FSSAI का खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (GMP) और उचित स्वच्छता और स्वच्छता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। खाद्य संचालकों के लिए ये लघु

अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रम पैनलबद्ध प्रशिक्षण भागीदारों और प्रशिक्षकों के माध्यम से नियमित रूप से आयोजित किए जा रहे हैं। जुलाई, 2022 के दौरान, 29044 खाद्य संचालकों को 810 प्रशिक्षणों के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया और खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक के रूप में प्रमाणित किया गया।

2. एफएसएसएआई नियामक कार्मिकों और एफएसएसएआई के नियमित कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित कर रहा है। जुलाई, 2022 माह के दौरान आयोजित प्रशिक्षणों का विवरण इस प्रकार है:

प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण कार्यक्रम की संख्या	प्रशिक्षित किए गए व्यक्तियों की संख्या
ऑनलाइन माध्यम से असम, गुजरात , हरियाणा, व ओड़ीशा के न्याय निर्णयन अधिकारियों के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण 14 व 15 जुलाई, 2022	01	70
ऑनलाइन माध्यम से कर्नाटक, मणिपुर व तमिल नाडु के न्याय निर्णयन अधिकारियों के लिए अभिविन्यास प्रशिक्षण 21 व 22 जुलाई 2022	01	53

3. प्रयोगशाला कर्मियों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण

FSSAI ने सनटेक लैब, झारखंड , EFRAC, कोलकाता , डॉक्टर एनालिटिकल लैब, मुंबई के सहयोग से राज्यों/संघशासित प्रदेशों के प्रयोगशाला कर्मियों के लिए फल और सब्जी उत्पादों में कीटनाशक अवशेषों के विश्लेषण; तेल और वसा में भारी धातु; चावल के सुदृढीकरण के लिए विधि सत्यापन; दूध उत्पादों

और अनाज उत्पादों में सुरक्षा मानकों का विश्लेषण पर 4 व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें 32 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

आईटीसी-एफएसएएन, मुंबई ने खाद्य व्यवसाय ऑपरेटर्स, छात्रों, अधिसूचित और राज्य प्रयोगशालाओं और उपभोक्ताओं के लिए 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम (ऑनलाइन और ऑफलाइन) आयोजित किए। इनमें लेबलिंग और प्रदर्शन विनियम 2020, पूर्व-पैक भोजन में एमएसएमई, नाइट्रोफुरन मेटाबोलाइट्स और एफ्लाटाॉक्सिन की स्क्रीनिंग पर व्यावहारिक प्रशिक्षण, प्रयुक्त कुकिंग ऑयल के पुनः उपयोग के लिए एफएसएएआई की पहल पर उपभोक्ता सत्र; मछली और मछली उत्पादों का सूक्ष्मजैविक नमूनाकरण इत्यादि प्रमुख थे। 532 प्रतिभागियों ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया।

VII. कोडेक्स

1) कीटनाशक अवशेषों पर कोडेक्स समिति (सीसीपीआर 53) का 53वां सत्र 3-8 जुलाई'22 से 13 जुलाई'22 को रिपोर्ट अपनाने के साथ आयोजित किया गया था।

- लंबे समय तक भंडारण के दौरान बहु-श्रेणी कीटनाशकों की प्रमाणित संदर्भ सामग्री की शुद्धता और स्थिरता की निगरानी (भारत की अध्यक्षता में)
- कम जन स्वास्थ्य चिंता के यौगिकों के लिए दिशानिर्देश जिन्हें सीएक्सएल की स्थापना से छूट दी जा सकती है या जो अवशेषों को जन्म नहीं देते (भारत द्वारा सह-अध्यक्ष)
- कीटनाशक अवशेषों की पहचान, पुष्टि और मात्रात्मक निर्धारण के लिए मास स्पेक्ट्रोमेट्री के उपयोग पर दिशानिर्देशों में मास स्पेक्ट्रोमेट्री प्रावधानों की समीक्षा (भारत द्वारा सह-अध्यक्ष)
- निर्धारित जन स्वास्थ्य चिंता के बिना असमर्थित यौगिकों का प्रबंधन पर सावधिक समीक्षा (भारत द्वारा सह-अध्यक्ष)

2) CCSCH6 के लिए कोडेक्स समन्वय समूह (CCG) की बैठक मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति (CCSCH6) के छठे सत्र के लिए कोडेक्स समन्वय समूह (CCG3)-पादप मूल के खाद्य पदार्थ (मसालों और पाक जड़ी बूटियों पर उप-समूह) की पहली बैठक 22 जुलाई, 2022 को श्री डी

साथियान आईएफएस, सचिव, मसाला बोर्ड की अध्यक्षता में सीसीएससीएच6 के विभिन्न एजेंडा मदों पर चर्चा करने और एजेंडा मदों पर भारत के रुख को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित की गई थी।